



Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
श्री नारायण सिंह पिता रतनसिंह जी राजपूत बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
निम्बाहेडा, किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 34 सन् 2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम |
|------------|--|--|
| | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं परोकार सरकार उपस्थित। पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दरस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा ग्राम फलवा पटवार हल्का फलवा तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 235 की आराजी नंबर 1157/518 रकबा 0.2800 हैक्टयेर, आराजी नंबर 1158/517 रकबा 0.0800 हैक्टयेर आराजी नंबर 375 मीन रकबा 0.0400 हैक्टयेर आराजी नंबर 511 मीन रकबा 0.4000 हैक्टयेर, आराजी नंबर 513 रकबा 0.8700 हैक्टयेर, आराजी नंबर 514 मीन रकबा 0.1900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 515 रकबा 0.0900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 517 मीन रकबा 0.1600 हैक्टयेर, आराजी नंबर 518 मीन रकबा 0.2900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 519 रकबा 0.1900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 520 रकबा 0.0100 हैक्टयेर, आराजी नंबर 521 मीन रकबा 0.7600 हैक्टयेर कुल किता 12 कुल रकबा 3.3600 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगढ़ी हुकमनामा/आदेश सरे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा</p> | 110-objection  |

